


सारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
आवक  
हुकम  
में

15/9/20

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील  
उपरो प्रार्थीगण उपरो प्रार्थीगणों की ओर  
से प्रार्थना-पत्र बाबत स्थगन प्रार्थना पत्र  
बिद्दो करने हेतु मूलवाद के साथ नहीं  
है। पेश किया गया। वकील प्रार्थी व  
अप्रार्थीगणों से निवेदन किया कि अन्याय  
प्रकरण में पारिवारिक समझौता व रजि  
-नामा हो गया है। वादीगण/प्रार्थीगण  
स्थगन प्रार्थना-पत्र द्वारा 212 RTA Act  
आगे चलाना नहीं चाहते हैं प्रार्थी  
का स्थगन प्रार्थना-पत्र बिद्दो प्रार्थना-  
पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का  
प्रार्थना-पत्र बिद्दो किया जाता है।  
पत्रावली फॉल्लो शुमार होकर कार्रवाई  
दफ्तर ही।



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

